महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक–7243 कु0का0 / 2025 दिनांक–04 / 09 / 2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,
आजमगढ़।

विषयः विश्वविद्यालय / संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्याः ई–5914 / 32–जी0एस0 / 2025 / 103–3 / 154 / 2025 दिनांक 26 अगस्त, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय / संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

"विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते है।

कृपया छात्रगणों को इस आशय की नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र / छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही महाविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा।"

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीया कुलाधिपति के उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को आदेशित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं अतिथि प्रवक्ता, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ परिसर को इस आशय से प्रेषित नोटिस को प्रत्येक विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, तथा छात्र–छात्राओं को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से अवगत कराये।
3. कार्यदायी ऐजेन्सी महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित की उक्त नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027
संख्या:ई–5914 / 32–जी0एस0 / 2025 / 103–3 / 154 / 2025
दिनांक 26 अगस्त ,2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति / निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
(चिकित्सा विश्वविद्यालय / संस्थान को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश ।

विषयः विश्वविद्यालय / संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों / संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

"विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नही बैठ सकते है।

कृपया छात्रगणों को इस आशय की नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र / छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय / संस्थान व सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा ।"

3– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी ।